न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 07/2021

प्रार्थी :–

1. प्रहलादराम पुत्र भोपालराम
   जाति–जाट, निवासी–दुगोली, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सीयाराम पुत्र लिछमणराम
   जाति–मेघवाल, निवासीगण–दुगोली, तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1020 रकबा 5.4390 हैक्टेयर मौजा दुगोली में स्थित है। प्रार्थी अपने खेत में वर्षो से अप्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1019 रकबा 0.3561 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शा के अनुसार दर्शाये रास्ते से आना जाना करते है तथा पशुधन, ट्रेक्टर, काश्त करसण करते रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 सीयाराम द्वारा खातेदारी की आड़ में खसरा नं. 1019 में से नहीं आने जाने की धमकी दे रहा है। जबकि खसरा नं. 1020 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की पुश्तैनी भूमि है, तथा इसी में से आना जाना करते हुये कृषि कार्य करते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अन्य निकटतम व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रार्थी अपने खेत में कृषि कार्य हेतु पशुधन, ट्रेक्टर, व आवश्यक संसाधन लाना व ले जाना कर सके। अतः प्रार्थी के खातेदारी में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया

23/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 16 फीट चौड़ाई में स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 02.03.2021 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना एवं नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से प्राप्त भू.अ. मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल दिनांक 02.03.2021 में बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए मौके पर वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 1018 में से बताया है साथ ही वैकल्पिक रास्ते के पूर्वी–दक्षिणी भाग के कोने पर टांका निर्माण नजरी नक्शा में दर्शाया है। प्रार्थी द्वारा वांछित/प्रस्तावित रास्ता कटाणी रास्ता व वैकल्पिक रास्ता से बराबर–2 दूरी पर व नजदीकी है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कच्चा पक्का रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा वांछित/प्रस्तावित किये गये रास्ते की चौड़ाई 13 फीट व लम्बाई 431 फीट जो कि नजरी नक्शा में मार्क ए से बी अंकित है। प्रस्तावित रास्ते के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से खसरा नं. 1019 में से 0.0526 हैक्टर भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उक्त खसरा की डी.एल.सी. दर राशि 17767 रू. प्रति बीघा होना रिपोर्ट बताया है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से वकुलाय की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं खातेदारी के खेत खसरा नं. 1020 रकबा 5.4390 हैक्टेयर जो कि मौजा दुगोली में स्थित है तथा पुश्तैनी भूमि है, उक्त खेताय की भूमि में प्रार्थी वर्षो से अप्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1019 रकबा 0.3561 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शा के अनुसार दर्शाये मार्क ए से बी रास्ते से पशुधन, ट्रेक्टर इत्यादि काश्त करसण हेतु लाना व जाना करते रहे है। परंतु अब अप्रार्थी संख्या 1 सीयाराम खातेदारी की आड़ में खसरा नं. 1019 में से नहीं आने जाने का कह रहा है तथा रास्ता बंद करने की धमकी दे रहा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी पक्ष से वार्तालाप की गई परन्तु आपसी सहमति नहीं बन पाई। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अन्य निकटतम व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रार्थी अपने खेत में कृषि कार्य हेतु पशुधन, ट्रेक्टर, व आवश्यक संसाधन लाना व ले जाना कर सके। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जिसकी आजाविका का साधन केवल कृषि ही है यदि वह रास्ते अभाव में कृषि कार्य नहीं कर पाता है तो उसकों अपूरणीय क्षति होना संभावित है।

अतः प्रार्थी के खातेदारी में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251क की मंशा भी यही है कि किसी काश्तकार को रास्ते की वैकल्पिक भूमि नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने की स्थिति में नजदीकी कटाणी रास्ते से नियमानुसार/वांछित चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राहत प्रदान की जावे। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 1020 में कृषि कार्य हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1019 में से माफिक नज़री नक्शानुसार मार्क ए से बी 16 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील पर मनन किया गया। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1020 में प्रवेश हेतु खसरा नं. 1018 में से वैकल्पिक रास्ता बताया है, परन्तु कटाणी रास्ते के चिपत ही खसरा नं. 1018 के पूर्वी–दक्षिणी कोने पर टांका निर्माण होना अंकित है एवं खसरा नं. 1020 के लिए खसरा नं. 1018 व 1019 से बराबर–2 दूरी होने की रिपोर्ट की गई है। इसी के साथ प्रार्थी द्वारा खसरा न. 1019 में मार्क ए से बी नजरीनक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ता चाहा है जिस पर किसी प्रकार निर्माण कार्य नहीं है। तथा वैकल्पिक रास्ता भी खसरा नं. 1018 में से ही था जिसके पूर्वी दक्षिणी कोने पर टांका निर्मित किया है। अब प्रार्थी ने अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1019 में से सींव माठ पर से रास्ते की की मांग की गई, ताकि अप्रार्थी पक्ष को किसी प्रकार असुविधा न हो तथा अप्रार्थी का खेत दो भागों में विभक्त न हो। इसी प्रकार प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1020 में प्रवेश हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता भी मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल से खसरा नं. 1019 व 1018 दोनो में से बराबर दूरी का होना बताया है। अतः प्रार्थना पत्र के संबंध में प्राप्त मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों से प्रार्थी को खातेदारी सुदा खेत खसरा नं. 1020 में कृषि कार्य हेतु अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं होना प्रतीत होता है तथा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होना सिद्ध होता है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम—दूगोली तहसील जायल के खसरा नं. 1019 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 02.03.2021 के अनुसार लाल स्याही से डोटेट मार्क ए—बी के अनुसार 13 चौड़ाई व 431 फीट लम्बाई का स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 02.03.2021 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम दूगोली तहसील जायल के खसरा नं. 1019 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी प्रहलादराम से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी. एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) का नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

23/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, नागौर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner